प्राक्कथन

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के विशिष्ट परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो कि 2015–16 के दौरान किये गये नमूना लेखापरीक्षा में संज्ञान में आए थे, साथ ही वे भी जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये थे, परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की जा सकी थी; वर्ष 2015–16 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

.